

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर बालोतरा
पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :- 161/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2024/468

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
पेमाराम पुत्र पुरखाराम		1.राणीदेवी पत्नी माणकचंद
जाति भील		2.लक्ष्मीदेवी पत्नी मूलचंद
निवासी भीलो का वास,मेवानगर		3.हीराराम पुत्र उकाराम
तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		4.इन्द्रादेवी पत्नी मोहनलाल
		5.चैला पुत्र भूरिया
		6.नारणाराम पुत्र कालूराम उर्फ कालिया
		7.बाबुराम पुत्र उकाराम उर्फ उकीया
		जाति भील निवासी भीलो का
		वास,मेवानगर तहसील पचपदरा
		8.सूजाराम पुत्र भूरिया जाति भील
		निवासी वरिया रोड़ फाटी नाड़ी मेवानगर
		तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा
		9. उदाराम पुत्र बगदीया
		10.गोकली पत्नी बगदीया
		11.थानाराम पुत्र पाताराम नाबालिग जरिए
		कुदरती वली माता सीतादेवी पत्नी
		पाताराम
		12.प्रेमाराम पुत्र पाताराम नाबालिग जरिए
		कुदरती वली माता सीतादेवी पत्नी
		पाताराम
		13.भमराराम पुत्र बगदीया
		14.भैराराम पुत्र बगदीया
		15.मुकनाराम पुत्र बगदीया
		16.सीतादेवी पत्नी पाताराम
		17.हराराम पुत्र बगदीया जाति भील
		निवासी भीलो का वास,मेवानगर
		तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा
		18.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार
		पचपदरा



सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान कारतकारी अधिनियम 1955

उपरिस्थिति

1. श्री भूपेन्द्र महलोत अधिवक्ता वादी
2. श्री जयदीपसिंह भाटी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1,2,4,5 व 9 से 16
3. प्रतिवादी संख्या 03,6 से 8 व 17,18 एकतरफा।

निर्णय

दिनांक- 22/5/2025

संक्षिप्त में वाद के सुरांगत तथ्य इस प्रकार है, कि सरहद मौजा मेवानगर तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 317 रकबा 1.3436 हैक्टेयर व खसरा संख्या 942/332 रकबा 5.5037 हैक्टेयर भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद दिनांक 11.2.2025 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार पचपदरा को मौके पर जाकर वादग्रस्त भूमि का बाई मिटस एण्ड वाउण्डस अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार पचपदरा द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे उभयपक्ष अधिवक्तों द्वारा विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार कर अंतिम डिक्री जारी करने का निवेदन किया। तदनुसार माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री जारी की जानी उचित प्रतीत होता है।


लिहाजा वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा मेवानगर तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 317 रकबा 1.3436 हैक्टेयर व खसरा संख्या 942/332 रकबा 5.5037 हैक्टेयर भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

कं. सं.	नाम खातेदारान	गांव का नाम	ख.सं.	क्षेत्रफल (हैक्ट.)	किस्म	लगान	बरंग
1	पेमाराम पुत्र पुरखाराम जाति भील सा. कितपाला खातेदार	मेवानगर	942/332	2.5677	बा.दो.	3.49	हरा
2	राणीदेवी पत्नी माणकचंद 1/3 इन्द्रादेवी पत्नी मोहनलाल 1/3 लक्ष्मीदेवी पत्नी मूलचंद 1/3 भील सा. बालोतरा	मेवानगर	942/332	1.3694	बा.दो.	1.88	पीला
3	चेलाराम पुत्र भूराराम कौम भील सा. देह खातेदार	मेवानगर	317	0.2739	बा.दो.	0.38	काला


सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

4	उदराराम मुकनाराम हराराम भैराराम अमराराम पि. बगदाराम गोकली पत्नी बगदाराम सीतादेवी पत्नी पाताराम ना.बा. धानाराम प्रेमाराम पि. पाताराम ना.बा. धानाराम प्रेमराम पि.पाताराम ना.बा.की वली माता सीतादेवी कौम भील सा. देह खातेदार	मेवानगर	942/332	0.6848	बा.दो.	0.93	वैगनी
5	नारणाराम पुत्र कालुराम हि. 6847/19515 बावुराम पुत्र उकाराम हि. 1712/19515 हीराराम पुत्र उकाराम हि. 2739/6505 सुजाराम पुत्र भूराराम हि.913/6505 कौम भील सा. देह खातेदार	मेवानगर	942/332 317	0.8818 1.0697	बा.दो. बा.दो.	1.19 1.45	लाल

तहसीलदार,पंचपदरा को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामान्तकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें,संलग्न नामान्तकरण की पुस्त पर तरमीम अंकित करे,राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रुप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना -अपना वहन करें ।


(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 22/5/2015 को लिखा जाकर सर-ए-इजलास सुनाया गया।


सहायक कलक्टर
एस.डी.ओ.)बालोतरा

मूलवाद में अंतिम डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा
पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :- 161/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2024/466

वादी
पेमाराम पुत्र पुरखाराम
जाति भील
निवासी भीलो का वास,मेवानगर
तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

बनाम

प्रतिवादी

- 1.राणीदेवी पत्नी माणकचंद
- 2.लक्ष्मीदेवी पत्नी मूलचंद
- 3.हीराराम पुत्र उकाराम
- 4.इन्द्रादेवी पत्नी मोहनलाल
- 5.चैता पुत्र भूरिया
- 6.नारणाराम पुत्र कालूराम उर्फ कालिया
- 7.बाबुराम पुत्र उकाराम उर्फ उकीया
जाति भील निवासी भीलो का वास,मेवानगर
तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा
- 8.सूजाराम पुत्र भूरीया जाति भील
निवासी वरिया रोड़ फाटी नाड़ी मेवानगर
तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा
9. उदाराम पुत्र बगदीया
- 10.गोकली पत्नी बगदीया
- 11.थानाराम पुत्र पाताराम नाबालिग जरिए
कुदरती वली माता सीतादेवी पत्नी पाताराम
- 12.प्रेमाराम पुत्र पाताराम नाबालिग जरिए
कुदरती वली माता सीतादेवी पत्नी पाताराम
- 13.भमराराम पुत्र बगदीया
- 14.भैराराम पुत्र बगदीया
- 15.मुकनाराम पुत्र बगदीया
- 16.सीतादेवी पत्नी पाताराम
- 17.हराराम पुत्र बगदीया जाति भील
निवासी भीलो का वास,मेवानगर
तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा
- 18.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार
पचपदरा



सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा:-53 आर.टी.एक्ट


मुकदमा नम्बर :161/2024

निर्णय दिनांक :- 22.5.2025

वादी की ओर से श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता की उपस्थिति एवं प्रतिवादी संख्या 1,2,4,5 व 9 से 16 की ओर से श्री जयदीपरिंह भाटी अधिवक्ता की उपस्थिति एवं प्रतिवादी संख्या 03 व 6 से 8 व 17,18 में इस वाद में आज तारीख 22.5.2025 को श्री अशोक कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:-वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 22.5.2025 मे अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से घोषित की जाती है। तहसीलदार पचपदरा को आदेश दिये जाते है,कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।


यह आज तारीख 22.5.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।




(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादीगण	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2.अर्जी के लिए स्टाम्प	
3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3.प्लीडर की फीस	
4.....रूपये पर प्लीडर की फीस		4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5.साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		5.आदेशिका की तामील	
6.कमिश्नर की फीस		6.कमिश्नर की फीस	
7.आदेशिका की तामील			
जोड़	_____	जोड़	_____


सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा